प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनॉक 12 फरवरी, 2020

विषयः- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा के अन्तर्गत चिकित्सालय के वार्ड ब्लॉक/ओ0पी0डी0 ब्लॉक के नीचे स्थापित विद्युत उपकेन्द्र को पार्किंग परिसर में शिफ्ट करने के कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 से रू0 583.5255 लाख (पॉच करोड़ तिरासी लाख बावन हजार पॉच सौ पच्चास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 3250/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/ अभि0वि0-(647)/2019-20, दिनांक 06.12.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा के अन्तर्गत चिकित्सालय के वार्ड ब्लॉक/ओ0पी0डी0 ब्लाक के नीचे स्थापित विद्युत उपकेन्द्र को पार्किंग परिसर में शिफ्ट करने के कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 से रू0 583.5255 लाख (पॉच करोड़ तिरासी लाख बावन हजार पॉच सौ पच्चास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा के अन्तर्गत चिकित्सालय के वार्ड ब्लॉक/ओ0पी0डी0 ब्लाक के नीचे स्थापित विद्युत उपकेन्द्र को पार्किंग परिसर में शिफ्ट करने के कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 से रू0 583.5255 लाख (पॉच करोड़ तिरासी लाख बावन हजार पॉच सौ पच्चास मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होगी। स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जाएगा।
2. विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
3. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद में किया जायेगा। विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
4. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित दिशा- निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा। प्रायोजना में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था का होगा।
5. प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेशों में उल्लिखित दिशा- निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा। ई परियोजाना पोर्टल पर परियोजना का माइलस्टोन एवं कार्यो के फोटोग्राफ अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा द्वारा आहरित किया जाएगा एवं बिलो पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जाएगे

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखा लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-29-रूरल इंस्टीटयूट आफ मेडिकल सांईसेज रिसर्च, सैफई, इटावा-24- वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22-03-2019 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारी के अधीन निर्गत किए जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

( डा0 रजनीश दुबे )
प्रमुख सचिव।

संख्याः- 07/2020/2106(1)/71-4-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, इटावा।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
6. प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ/ इटावा
7. वित्तस्था/4-नियोजन अनुभाग/3-अनुभाग(नियंत्रण-यव्य)नीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।